FORM - III
फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी {राजस्व}, श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

दुलजिन्द्र सिंह **बनाम** राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार श्रीकरणपुर

अन्तर्गत धारा 88 आरटीए, 136 एलआरएक्ट प्रकरण संख्या 263 सन् 2025

जी.सी.एम.एस. नम्बर 2025/375

तामिल हुकम	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
04.08.2025	प्रार्थी दुलजिन्द्र सिंह पुत्र रखपाल सिंह जाति जटसिख निवासी 19 एच तहसील श्रीकरणपुर के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में तहसीलदार श्रीकरणपुर के पंत्राक 1972 दिनांक 23.07.2025 से रिपोर्ट प्राप्त होने पर प्रकरण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 की धारा 88 व भू-राजस्व अधिनियम-1956 की धारा 136 में दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी को सुना गया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र व रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर का अवलोकन किया। प्रार्थी की बहस को सुनते हुए संगत विधिक प्रावधानों का अध्ययन किया। पत्रावली तथा इसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजात यथा राजस्व ग्राम 19 एच, पटवार हल्का 2 डब्ल्यु, भू.अ.नि.क्षेत्र केसरीसिंहपुर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबन्दी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 46/45 की प्रति, पंजीकृत बैयनामा जसकरण सिंह बहक दुलजिन्द्र सिंह दिनांक 09.03.2023 की छायाप्रति, इन्तकाल संख्या 513 दिनांक 08.5.2025 की छायाप्रति के अवलोकन से स्पष्ट है, कि प्रार्थी के द्वारा राजस्व ग्राम 19 एच, पटवार हल्का 2 डब्ल्यु, भू.अ.नि.क्षेत्र केसरीसिंहपुर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबन्दी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 46/45 में खाता संख्या 46/60 के मुरब्बा नम्बर 14, 18, 57/8, 57/49 की कुल 3.480 हैक्टेयर भूमि को दर्ज करवाने बाबत निवेदन किया गया है। प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात राजस्व ग्राम 19 एच, पटवार हल्का 2 डब्ल्यु, भू.अ.नि.क्षेत्र केसरीसिंहपुर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबन्दी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 46/60 के मुरब्बा नम्बर 14, 18, 57/8, 57/49 की कुल 3.480 हैक्टेयर भूमि अंकित है। परन्तु राजस्व ग्राम 19 एच, पटवार हल्का 2 डब्ल्यु, भू.अ.नि.क्षेत्र केसरीसिंहपुर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबन्दी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 46/45 में खाता संख्या 46/60 में मुरब्बा नम्बर 9 के किला नम्बर 1/2 की 0.114 हैक्टेयर भूमि ही दर्ज है। शेष रकबा अंकित नहीं है। रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर के मुताबिक प्रार्थी के नाम चक 19 एच के खाता संख्या 46 की कुल 3.480 हैक्टेयर भूमि दर्ज थी। जो इन्तकाल संख्या 513 दिनांक 05.06. 2025 दर्ज होने से घटकर केवल मुरब्बा नम्बर 9 के किला नम्बर 1/2 की 0.114 हैक्टेयर रकबा ही रह गया है। तकनीकी त्रुटि से इन्तकाल पूर्व के सभी मुरब्बा नम्बर व किला नम्बर जमाबन्दी में दृश्य नहीं हो रहा है। खाता संख्या 46 में 3.480 हैक्टेयर रकबा दर्ज कर दुरूस्त किया जाना उचित है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर, प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात, के अनुसार भली-भांति साबित होने पर स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 19 एच, पटवार हल्का 2 डब्ल्यु, भू.अ.नि.क्षेत्र केसरीसिंहपुर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबन्दी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 46/45 में खाता संख्या 46/60 के मुरब्बा नम्बर 14, 18, 57/8, 57/49 की कुल 3.480 हैक्टेयर भूमि दर्ज किए जाने के आदेश दिए जाते है। उक्त खाता के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेगे। उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। पर्चा डिक्री इस आशय का जारी हो। पर्चा डिक्री की एक प्रति तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/लेख भण्डार जमा हो। सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)	

अंतिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

{ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी}
(Civil Procedure Code, Appendix "D-1")

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी {राजस्व} मुकाम श्रीकरणपुर ब इजलास श्री श्योराम (आर.ए.एस.)

दुलजिन्द्र सिंह बनाम राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार श्रीकरणपुर

धारा अन्तर्गत **88 आरटीए, 136 एलआरएक्ट** मुकदमा नम्बर **263/2025**

निर्णय दिनांक :-04.08.2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर व हाजरी **वादी स्वंय के** पेश होने पर आदेश दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थी रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर, प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात, के अनुसार भली-भांति साबित होने पर स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 19 एच, पटवार हल्का 2 डब्ल्यु, भू.अ.नि.क्षेत्र केसरीसिंहपुर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबन्दी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 46/45 में खाता संख्या 46/60 के मुरब्बा नम्बर 14, 18, 57/8, 57/49 की कुल 3.480 हैक्टेयर भूमि दर्ज किए जाने के आदेश दिए जाते है। उक्त खाता के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेगे। उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे।

आज दिनांक 04.08.2025 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

{श्योराम (आर.ए.एस.)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

मुददई	रूपया	पैसा	मुदायली	रूपया	पैसा
स्टाम्प अरजीदावा	02	00	स्टाम्प वकालतनामा	00	00
स्टाम्प वकालतनामा	00	00	स्टाम्प अरजी	00	--
स्टाम्प ड्यूटी	00	00	मेहनताना वकील पर	00	--
योग	02	**00**	**योग**	**00**	**00**

{श्योराम (आर.ए.एस.)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

क्रमांकः रीडर/ 2025/591 दिनांकः 04.08.2025

प्रतिलिपिः तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ भेजकर लेख है कि उक्त डिक्री की नियमानुसार पालना कर, पालना रिपोर्ट अद्योहस्ताक्षरकर्ता न्यायालय में भिजवाना सुनिश्चित करे।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

{श्योराम (आर.ए.एस.)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)